भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2767
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमकेएसवाई के माध्यम से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई

2767. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएमकेएसवाई के माध्यम से अब तक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल किए गए हैं;
(ग) क्या सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;
(घ) क्या सरकार ने जल संरक्षण पर सूक्ष्म सिंचाई के प्रभाव का आकलन किया है; और
(ङ) पीएमकेएसवाई के कुल बजट में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का भाग कितना है**?**

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2015-16 से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना, सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से इस योजना को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी.एम.आर.के.वी.वाई.) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
(ख): वर्ष 2015-16 से अब तक, पी.डी.एम.सी. योजना के माध्यम से 96.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 46.37 लाख हेक्टेयर और स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत 50.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

(ग): पी.डी.एम.सी. योजना के अंतर्गत, लघु एवं सीमांत किसानों तथा अन्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु इकाई लागत के क्रमशः 55% तथा 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): नीति आयोग ने वर्ष 2020 में पी.डी.एम.सी. योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि यह योजना फार्म पर जल उपयोग दक्षता में सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा करना, किसानों की समग्र आय में वृद्धि आदि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं प्राप्त करने में प्रासंगिक है।

(ङ): वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, पी.एम.आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत राज्यों को अब तक 5711.55 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी/स्वीकृत की गई है जिसमें पी.डी.एम.सी. योजना के लिए 2232.30 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

*****